



प्रेस विज्ञप्ति

13.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंडियन बैंक द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत दायर आवेदन के समर्थन में, मेसर्स सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) और उसके साझेदारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान जब्त की गई **40 करोड़ रुपये** मूल्य की संपत्तियों को इंडियन बैंक को वापस कर दिया है। इससे पहले, ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 17/02/2025 को पारित आदेश के माध्यम से 235 करोड़ रुपये मूल्य की तीन संपत्तियां वापस कर दी थीं। **इस मामले में वापसी की कुल मूल्य 275 करोड़ रुपये है।**

भारतीय बैंक की शिकायत पर सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मेसर्स सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के साझेदारों ने धोखाधड़ी से 240 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त की, अनधिकृत उद्देश्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया, झूठे और बढ़ा-चढ़ाकर स्टॉक विवरण प्रस्तुत किए, कार्यशील पूंजी सीमा का दुरुपयोग किया, व्यक्तिगत खातों में धन स्थानांतरित किया, बैंक की जानकारी के बिना गिरवी रखे गए स्टॉक को हटा दिया और बैंक के धन का दुरुपयोग करके संपत्तियां हासिल कीं। ऋण खाता 07.07.2019 को निष्पादित (एनपीए) हो गया, जिसे बाद में धोखाधड़ी और जानबूझकर चूक के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे इंडियन बैंक को 312.13 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

पीएमएलए जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से बैंक निधि का दुरुपयोग और गबन किया। ईडी ने दो अस्थायी कुर्की आदेशों के माध्यम से 274.76 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया, जिसकी पुष्टि बाद में न्याय निर्णायक प्राधिकरण ने क्रमशः 24.01.2023 और 27.10.2023 को की। इसके बाद ईडी ने 18.01.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की।

इंडियन बैंक ने पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत कुर्क की गई संपत्तियों की बहाली की मांग की। ईडी ने इस पर सहमति जताई क्योंकि कुर्की पीड़ित बैंक के हित में की गई थी। माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक 17.02.2025 के आदेश द्वारा 235 करोड़ रुपये मूल्य की तीन संपत्तियों को बहाल कर दिया। इंडियन बैंक ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 40 करोड़ रुपये मूल्य की अतिरिक्त संपत्तियों की मांग की। ईडी ने जनहित और बैंक के भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए कोई आपत्ति नहीं जताई। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.10.2025 के आदेश द्वारा 40 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को इंडियन बैंक को वापस कर दिया।